न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 843/2022

अनवान : –

1. सन्तोष देवी पत्नी प्रमोद कुमार जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. सुरेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम

1. प्रदीप कुमार पुत्र राजकुमार जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. सदीक पुत्र गनी जाति लीलगर मु0 निवासी तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय दिनांक: 02/9/2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 83/76 की कुल 3.5290 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि के वादी एवं प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार होने के कारण सींव लगान काश्त आदि का झगड़ा रहता है वादी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाऊ बना रखा है तथा इसलिए वादी अपना खाता व लगान मुताबिक कब्जा काश्त एवं अपने हक व हिस्सा अनुसार प्रतिवादीगण से अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त उपस्थित नही अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

तहसीलदार नोहर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जी [illegible] तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया वाद भूमि को वाद वादी मुताबिक विभाजन [illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:37:20 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 83/76 की कुल 3.5290 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है,

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

में वादी ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सहकाश्तकारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। कोई भी खातेदार काश्तकार जमाबंदी में दर्ज हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि का खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 83/76 की कुल 3.5290 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 सुरेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी नोहर खातेदार
प0न0 322/445 (28) 5/1 की .025 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 5/2 की .228 हैक्ट 6 की .253 हैक्ट, 7 की .1648 हैक्ट, कुल किता 04 रकबा 0.6708 (0.025 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 0.6458 बारानी प्रथम)

2 सन्तोष देवी पत्नी प्रमोद कुमार जाति ब्राहमण निवासी नोहर खातेदार
प0न0 322/445(28) 4/1 की .0164 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 4/2 की .1484, प0न0 322/444(27) 3 की .0462 हैक्ट, 4 ता 7 की 1.012 हैक्ट, 8 की .0463 हैक्ट कुल किता 8 रकबा 1.2693 हैक्ट (0.0164 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 1.2529 हैक्ट बारानी प्रथम)

3 सदीक पुत्र गनी जाति लीलगर सा0 नोहर खातेदार
प0न0 322/444(27) 3 की 0.0021 हैक्ट, किता 01 रकबा 0.0021 हैक्ट बारानी प्रथम

4 प्रदीप कुमार पुत्र राजकुमार जाति अग्रवाल सा0 नोहर खातेदार
प0न0 322/445 (28) 2/1 की .215 हैक्ट, 2/2 की .025 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 2/3 की .013 हैक्ट, 3/1 की .025 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 3/2 की .228 हैक्ट, 4/1 की .0086 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 4/2 की .0796 हैक्ट, 7 की .0882 हैक्ट, 8 की .253 हैक्ट, 9 की .240 हैक्ट, प0न0 322/444 (27) 3 कि .2047 हैक्ट, 8 की .2067 हैक्ट कुल किता 12 रकबा 1.5868 हैक्ट (0.0586 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 1.5288 बारानी प्रथम)

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 02/9/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:37:20 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 843 / 2022

अनवान : –

1. सन्तोष देवी पत्नी प्रमोद कुमार जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।

2. सुरेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम

1. प्रदीप कुमार पुत्र राजकुमार जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. सदीक पुत्र गनी जाति लीलगर मु0 निवासी तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 843 सन 2022 निर्णय दिनांक 02/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 15 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 83/76 की कुल 3.5290 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 सुरेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी नोहर खातेदार
प0न0 322/445 (28) 5/1 की .025 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 5/2 की .228 हैक्ट 6 की .253 हैक्ट, 7 की .1648 हैक्ट, कुल किता 04 रकबा 0.6708 (0.025 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 0.6458 बारानी प्रथम)

2 सन्तोष देवी पत्नी प्रमोद कुमार जाति ब्राहमण निवासी नोहर खातेदार
प0न0 322/445(28) 4/1 की .0164 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 4/2 की .1484, प0न0 322/444(27) 3 की .0462 हैक्ट, 4 ता 7 की 1.012 हैक्ट, 8 की .0463 हैक्ट कुल किता 8 रकबा 1.2693 हैक्ट (0.0164 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 1.2529 हैक्ट बारानी प्रथम)

3 सदीक पुत्र गनी जाति लीलगर सा0 नोहर खातेदार
प0न0 322/444(27) 3 की 0.0021 हैक्ट, किता 01 रकबा 0.0021 हैक्ट बारानी प्रथम

4 प्रदीप कुमार पुत्र राजकुमार जाति अग्रवाल सा0 नोहर खातेदार
प0न0 322/445 (28) 2/1 की .215 हैक्ट, 2/2 की .025 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 2/3 की .013 हैक्ट, 3/1 की .025 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 3/2 की .228 हैक्ट, 4/1 की .0086 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 4/2 की .0796 हैक्ट, 7 की .0882 हैक्ट, 8 की .253 हैक्ट, 9 की .240 हैक्ट, प0न0 322/444 (27) 3 कि .2047 हैक्ट, 8 की .2067 हैक्ट कुल किता 12 रकबा 1.5868 हैक्ट (0. 0586 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 1.5288 बारानी प्रथम)

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:37:20 IST
Reason: SelfAttested

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 2/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर